

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-42 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नन्हू लाल पुत्र पल्टू नि० जैतपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-180/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही —

01. अरूण कुमार सिंह पुत्र महेन्द्र बक्श सिंह नि० बहादुरपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-103/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बाबादीन पुत्र स्व० जरदाही नि० बनपुरवा खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-216/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. केशवराम कोरी पुत्र श्यामलाल नि० सेवकराम मौजा ख्वाजाजोत थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-165/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.07.2021

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने मु0अ0सं0-136/2021 धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त संदीप कुमार गोस्वामी को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना परसपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लडकी के दादा द्वारा थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. संदीप कुमार गोस्वामी पुत्र कृष्ण कुमार गोस्वामी उर्फ तबलू गोस्वामी नि0 छीटपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-136/2021 धारा 363,366 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 रमेश कुमार वर्मा मय टीम।